No. 21/16/2015-ASO

भारत सरकार Government of India

कोयला मंत्रालय Ministry of Coal

...

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

4/5 अप्रैल 2016

सेवा मे,

श्री पंकज तिवारी,
न्यू राजबारी रोड़, झारिया,
धनबाद - 828111
झारखंड़

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई जानकारी के संबंध मे .**

महोदय,

कृपया आपके द्वारा पी.एम.ओ को संबोधित पत्र दिनांक 04.02.2016 का अवलोकन करें जो कि कोयला मंत्रालय को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया है । इस संदर्भ मे यह कहना है कि कोयला मंत्रालय ने आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई जानकारी दिनांक 20.01.2016 को भेज दी गई है । तथापि, आपके अनुरोध पर बिन्दु-वार विस्तार से जानकारी इस प्रकार है -

1. कोल इंडिया एवं उसकी अनुसंगी कंपनियों के निदेशक अनुशंसा तथा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की अनुमोदन से पॉच वर्ष की अवधी या सेवा निवृत्ति (60 वर्ष) मे से जो भी पहले लागू होता हो तब तक पदस्थापना किया जाता है । कार्यकाल पूरे होने के बाद भी अगर किसी का सेवा बाकी हो तो उसका कार्यकाल सेवा निवृत्ति (60 वर्ष) तक अनुशंसा तथा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की अनुमोदन से बढाया जा सकता है | इस संदर्भ मे मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के कार्यालय ज्ञापन सं 17(9)EO/2014(ACC) दिनांक 30.10.2014 मे दिये गये दिशा-निर्देशो का पालन किया जाता है ।

2 और 3 - श्री झा का सेवा विस्तार 26.10.2014 के बाद 26.01.2015 तक माननीय कोयला मंत्री के अनुमोदन से किया गया है । उसके बाद से श्री झा का सेवा विस्तार का मामला इस मंत्रालय / मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति मे प्रक्रियाधीन है ।

4. मौजूदा निर्देशो को देखते हुये, किसी भी बोर्ड स्तर के नियुक्ती की सेवाओं को आरंभिक अवधि के पूरा होने पर मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के विशेष आदेश के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है अगर उसकी सेवा विस्तार का मामला है । इस दिशा-निर्देश के कारण श्री डी. सी. झा बी.सी.सी.एल के तकनीकी निदेशक (परिचालन) के पद पर कार्यरत है ।

भवदीय,

संजीब

(संजीब भट्टाचार्या)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि-

1. श्री वी. बी. हरिहरन, अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली उनके अई.डी सं PMOPG/D/2016/0050973 दिनांक 01.03.2016 के संदर्भ में ।
2. तकनीकी निदेशक(NIC), कोयला मंत्रालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।